तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही, मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए
16/4	तामील अधिकारी आज भ्रमण पर/अन्य कार्य व्यस्त होते हैं पत्रावली आईन्दा प्रार्थनुसार सुनवाई हेतु दिनांक 22/4/19 को पेश हो। आज्ञा से डिविजनल कमिश्नर जोधपुर	
22/4	अपीलान्ट एवं रैस्पोडेन्ट संख्या 14 से 16 व 24 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित नियम 11 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता पर हमने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि प्रस्तुत अपील मे रेस्पोडेन्ट संख्या 18 श्री भंवरलाल का पूर्व मे देहान्त हो चुका है, अपीलान्ट द्वारा यह अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, इस कारण यह अपील मात्र इसी आधार पर दूषित होने से निरस्त फरमायी जावे। इस संबंध मे प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने निर्णय नजीर 20113 (1) आर.आर.टी पेज 173 प्रस्तुत की गयी। इस संबंध मे अपीलान्ट के अधिवक्ता ने कथन किया कि उन्हे पुनः उक्त अपील प्रतिहारित कर पुनः नये सिरे से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे। अतः धारा 151 सी.पी.सी के तहत प्रदत अधिकार का उपयोग करते हुए प्रस्तुत अपील प्रतिहारित (withdraw) कर अपीलान्ट को नये सिरे से नियमानुसार पुनः अपील पेश करने की अनुमति दी जाती है। ऐसी रिथति मे प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी एवं अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित नियम 11 पर किसी प्रकार निर्णय लिये जाने की कोई आवश्यकता नही रह जाती है। अतः अपील अपीलान्ट द्वारा प्रतिहारित (withdraw) करने से निर्णित की जाकर फैसल शुमार की जाती है। (बाबूलाल कोठारी) डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर डिविजनल कमिश्नर जोधपुर	